न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 35/2020

दायर दिनांक– 09.06.2020

झाबर पुत्र झूंथा जाति मेघवाल निवासी खोजास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

1. नोरंग पुत्र झूंथा जाति मेघवाल निवासी खोजास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक नं. 1 :– श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 17.01.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खोजास हल्का बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 50 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 0.7800 हैक्टर, खसरा नम्बर 385 रकबा 1.8700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 की शामलाती व पैत्रिक कृषि भूमि है, जिसका आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

आवेदक व अनावेदक 1 की सयुंक्त खातेदार आराजीयात कृषि भूमि वाके ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 50 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 0.7800 हैक्टर, खसरा नम्बर 385 रकबा 1.8700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर स्थित है, जिसमें आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 का हिस्सा निम्नानुसार है , आवेदक का सर्म्पूण भूमि में 1/2 हक हिस्सा है। अनावेदक नम्बर 1 का सम्पूण भूमि में 1/2 हक व हिस्सा है। इसी अनुसार उक्त अविभाजित आराजीयात की कृषि भूमि के अपने–अपने हिस्सेनुसार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है।

उक्त आराजीयात कृषि भूमि आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 के मध्य मनबट के हिसाब से अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है, तथा आवेदक अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करता है, जिसका विधिवत रूप से मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नही हुआ है। आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 अपने–अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है।

प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में वर्णित सहखातेदारी की वादग्रस्त अविभाजित सम्पूर्ण कृषि भूमि में आवेदक का 1/2 हक हिस्सा है, जिसके हिस्सेदारो के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधरो पर नही हुआ है तथा आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 मनबट के हिसाब से उक्त आराजियात अविभाजित कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है। भूमि अविभाजित शामलाती खातेदारी की भूमि है, तथा वादग्रस्त उक्त आराजी भूमि को मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर बमुजिब कब्जा काश्त नक्शे व खसरे में अंकित किया जाकर लगान की फाक बन्दी करके जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक हुआ। इसलिए उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:22:33 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनावेदक नम्बर 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 व 03 में वर्णित किया गया है कि कृषि भूमि के भू–राजस्व अभिलेखों में कानूनी मिट्स एण्ड बाउण्डस

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

भाजन करवाने हेतु कई मर्तबा अनुरोध के बावजूद अंतिम रूप से उपरोक्तानुसर कानूनन विभाजन नही करवाया है।

आवेदक को कानूनन अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय से वाद ग्रस्त भूमि का अंतिम रूप से विभाजन करवाये व अनावेदक नम्बर 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वाद ग्रस्त भूमि पर आवेदक के कब्जे काश्त एव उपयोग उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप नही करे तथा आवेदक की भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नही करे एव विवाद ग्रस्त भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नही करे एव विवादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाये बगैर वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से का बैचान रहन बैय बख्शीश किसी भी व्यक्ति संस्था या समिति को ना करे आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। यदि आवेदक नम्बर 1 आवेदक के अपने हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा करेगे तो आवेदक को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना पडेगा तथा इतना नकुसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि तादौराने वाद अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 50 पुरान 47 को अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 373, 385 रकबा क्रमशः 0.7800, 1.8700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर की आराजीयात कृषि भूमि के कब्जे काश्त में दखल ना करे एव उक्त शामलाती खातेदारी कृषि भूमि को जब उसका कानून मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नही हो जाता है, तब तक किसी दीगर व्यक्ति संस्था, समिति आदि को बेचान ना करे, ना ही किसी प्रकार का रास्ता निकाले, तथा आवेदक के अपने हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी पैदा नही करे। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने आदमियों से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा उपस्थित आये। तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना जाहिर किया। अनावेदक नम्बर 02 की सम्यक रूप तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदक नम्बर 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र नही देने पर अनावेदक नम्बर 1 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। वकील उभय पक्षो द्वारा प्रार्थना पत्र को ही बहस होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2075–2078 ग्राम खोजास की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 50 पुरान 47 को अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 373, 385 रकबा क्रमशः 0.7800, 1.8700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी 1/2 – 1/2 हिस्से की भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। सहखातेदारी की वादग्रस्त अविभाजित सम्पूर्ण कृषि भूमि में आवेदक व अनावेदक का 1/2 – 1/2 हक हिस्सा है, जिसके हिस्सेदारो के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधरो पर नही हुआ है। आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 मनबट के हिसाब से उक्त आराजियात अविभाजित कृ[illegible] भूमि अविभाजित शामलाती खातेदारी की भूमि है, तथा वादग्रस्त उक्त आराजी भूमि को [illegible] बाउण्डस तकासमा किया जाकर बमुजिब कब्जा काश्त नक्शे व खसरे में अंकित [illegible] जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा [illegible] अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प[illegible]य करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damayanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:22:33 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** ग्राम खोजास की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 50 पुराना खाता संख्या 47 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 373, 385 रकबा क्रमशः 0.7800, 1.8700

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

(5)

हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी 1/2–1/2 हिस्से की भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। खातेदारों के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधारों पर नही हुआ है। अतः आवेदक विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

2. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदार आवेदक की होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खोजास की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 50 पुरान 47 को अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 373, 385 रकबा क्रमशः 0.7800, 1.8700 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर भूमि के मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 09.06.2020 को कन्फर्म की किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:22:33 IST
Reason: SelfAttested